

**ग्राम पंचायत भलेड़, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**
अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017
भाग—एक

1 प्रस्तावना:—

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भलेड़, विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थे:—

प्रधान:—

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्री हाकम चन्द	1.4.14 से 22.1.16
2	श्री पवन कुमार	23.1.16 से 31.3.17

सचिव

क्रमांक	नाम	अवधि
1	श्रीमती मोनिका देवी	1.4.14 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:—

ग्राम पंचायत भलेड़, जिला कांगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तर्शेष में भारी अन्तर	4.37

2	6 (क)	रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना	---
3	9	अनुदान राशियों का अवरोधन	17.17
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	1.05

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत भलेड़, विकास खण्ड रैत, जिला कॉँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री केवल सिंह, अनुभाग अधिकारी तथा श्री पवन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 23.11.17 से 06.12.17 तक ग्राम पंचायत भलेड़ के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 09/2014, 03/2016, 03/2017 व 12/2014, 05/2015, 02/2017 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत भलेड़, विकास खण्ड रैत, जिला कॉँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 99 (ए) दिनांक 5.12.2017 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भलेड़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत भलेड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

स्वःस्त्रोत व अनुदान:- ग्राम पंचायत भलेड के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 में भी दिया गया है।

(i) स्वःस्त्रोत

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	26716.00	43748	70464.00	23947.00	46517.00
2015–16	46517.00	22281	68798.00	40792.98	28005.02
2016–17	28005.02	38941	66946.02	43046.93	23899.09

(ii) अनुदान

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	124112.40	1873373	1997485.40	1587818.05	409667.35
2015–16	409667.35	2414687	2824354.35	1808024.61	1016329.74
2016–17	1016329.74	2099275	3115604.74	1398110.51	1717494.23
				कुल योग	₹1741393.32

दिनांक 31.3.2017 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण:-

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता संख्या	जमा राशि
1	के0सी0सी0 रैत	20040016399	17142
2	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125590	0
3	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125581	0
4	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102134172	1732.94
5	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102137498	61454.89
6	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125563	1040189

7	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125554	82622
8	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125758	21025
9	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125624	11482
10	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125633	3701.84
11	पी0एन0बी0 दरिणी	1998000102125615	63570.09
12	हस्तगत राशि		1040.38
		कुल योग	₹1303960.14

अन्तर=₹1741393.32–₹1303960.14=₹437432.18

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹4.37 लाख का भारी अन्तरः—

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भलेड़ द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की है। जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में ₹437433 (1741393.32–1303960.14) का भारी अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में है। अन्तर का विस्तृत व्यौरा पैरा 4 में दिया गया है।

अतः इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस अन्तर का अतिशीघ्र मिलान किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 (क) रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव न करना:-

लेखांकन के सामान्य तथा प्रचलित नियमों के अनुसार रोकड़ बही में प्रतिदिन हुए लेन देन की प्रविष्टियों उपरान्त बन्द करते हुए अन्तशेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष निकालना आवश्यक है तथा मासान्त व वर्षान्त में उपलब्ध हस्तगत शेष तथा बैंक शेष का विवरण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (2 व 3) के अनुसार भी प्रधान द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत भलेड़ में रोकड़ बही के रख रखाव में इन नियमों की अनुपालना नहीं की गई है। अतः नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस

कार्यविधि बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए इस बारे नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) वर्गीकृत सार को तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए, एक भाग आय तथा दूसरा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय तथा व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश:-

ग्राम पंचायत भलेड द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान सावधिक जमा में निवेश नहीं किया गया था।

8 बजट प्राक्कलन नियमानुसार निर्धारित फार्म में तैयार न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार नहीं किया गया है, जिसके कारण स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निर्धारित फार्म में बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹17.17 लाख का अवरोधन:-

पंचायत द्वारा परिशिष्ट 1 व 2 पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1717494 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले

लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ातरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.05 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें प्रावधित हैं। चयनित मास के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹104998 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदाओं को आमन्त्रित किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की विशेष स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ लिया जा सके। इसके अतिरिक्त उक्त क्रय किए गए स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में इन्ड्राज किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

11 विहित रजिस्टरों का रख—रखाव न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख—रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख—रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रजिस्टरों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

- 1 स्टॉक रजिस्टर
- 2 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर
- 3 जल प्रभार रजिस्टर
- 4 भवनों व दुकानों के किराए से सम्बन्धित रजिस्टर
- 5 अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आय का रजिस्टर
- 6 अनुदान प्राप्ति से सम्बन्धित रजिस्टर

- 7 गृहकर वसूली रजिस्टर
- 8 डाके टिकट रजिस्टर
- 9 निर्माण कार्यों का रजिस्टर इत्यादि

12 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत के द्वारा भण्डार का नियमानुसार न तो स्थाई या अस्थाई भण्डार का पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है और न ही प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है, जिसके बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 विविध अनियमितताएँ:-

- 13.1 ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के अन्तर्गत अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही है।
- 13.2 निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार आयकर, बिक्रीकर, लेबर सेस तथा रायल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की जा रही है।
- 13.3 पंचायत द्वारा पंचायत सदस्यों को प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62 (1) के अन्तर्गत सिटिंग फीस का भुगतान किया जाता है। ग्राम पंचायत में इस फीस के भुगतान से सम्बन्धित बिलों की जाँच में पाया गया कि यह भुगतान पंचायत सदस्यों के बैठक में भाग लेने सम्बन्धी अभिलेख अथवा हाजिरी रजिस्टर विवरण के बिना ही कर दिया गया है। अतः इस नियम विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य हेतु इसमें सुधार लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 14 लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है।
- 15 निष्कर्ष:-** लेखों के रख रखाव में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अधिकतर नियमों की अनुपालना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। यह बात पंचायती राज विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ में विशेष से लाई जाती है तथा यह सुझाव दिया जाता है कि इस सन्दर्भ में सम्बन्धित कर्मचारियों को लेखाओं के रख रखाव नियमानुसार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं।

हस्ता /—
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 उप निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(2) 166 / 2018—खण्ड—1—3352—3355 दिनांक
 14.05.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत भलेड, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

हस्ता /—
 (ज्ञान चन्द शर्मा)
 उप निदेशक,
 स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
 हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
 0177—2620881